



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-2, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अध्यादेश)

लखनऊ, सोमवार, 24 जुलाई, 2023

श्रावण 2, 1945 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

विधायी अनुभाग-1

संख्या 257/79-वि-1-2023-2-क-16-2023

लखनऊ, 24 जुलाई, 2023

अधिसूचना

विविध

भारत का संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल द्वारा निम्नलिखित उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) अध्यादेश, 2023 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 14 सन् 2023) जिससे राज्य कर अनुभाग-2 प्रशासनिक रूप से सम्बन्धित है प्रख्यापित किया गया है जो इस अधिसूचना द्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) अध्यादेश, 2023

(उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 14 सन् 2023)

[भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित]

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अध्यादेश

चूंकि राज्य विधानमंडल सत्र में नहीं है और राज्यपाल का यह समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं, जिनके कारण उन्हें तुरंत कार्यवाही करना आवश्यक हो गया है; अतएव अब, भारत का संविधान के अनुच्छेद 213 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करती है:-

1-(1) यह अध्यादेश उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) अध्यादेश, 2023 कहा जायेगा।

(2) इस अध्यादेश के उपबंध, उस तारीख को प्रवृत्त होंगे, जैसा कि राज्य सरकार, गजट में अधिसूचना द्वारा नियत करे:

परंतु यह कि इस अध्यादेश के भिन्न-भिन्न उपबंधों के लिये भिन्न-भिन्न तारीखें नियत की जा सकती हैं।

संक्षिप्त नाम और
प्रारंभ

धारा 10 का
संशोधन

2-उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (जिसे आगे "मूल अधिनियम" कहा गया है) में, धारा 10 में, -

(क) उप-धारा (2) में, खंड (घ) में, शब्द "माल या" निकाल दिये जाएंगे;

(ख) उप-धारा (2क) में, खंड (ग) में, शब्द "माल या" निकाल दिये जाएंगे।

धारा 16 का
संशोधन

3-मूल अधिनियम की धारा 16 में, उप-धारा (2) में, -

(i) दूसरे परंतुक में, शब्द "उस पर के ब्याज के साथ, ऐसी रीति में जो विहित की जाये, उसके आउटपुट कर दायित्व में जोड़ दिया जायेगा" के स्थान पर शब्द और अंक, "धारा 50 के अधीन संदेय ब्याज के साथ, ऐसी रीति से जो विहित की जाये, उसके द्वारा भुगतान किया जायेगा" रख दिये जायेंगे;

(ii) तीसरे परंतुक में, शब्द "उसके द्वारा" के पश्चात् शब्द "पूर्तिकार को" बढ़ा दिये जाएंगे।

धारा 17 का
संशोधन

4-मूल अधिनियम की धारा 17 में, -

(क) उप-धारा (3) में, स्पष्टीकरण में, शब्द और अंक " अनुसूची 3 के पैरा 5 में विनिर्दिष्ट " के स्थान पर निम्नलिखित शब्द और अंक रख दिये जायेंगे, अर्थात्:-

" अनुसूची 3 के ,-

(i) पैरा 5 में विनिर्दिष्ट गतिविधियों या लेनदेन का मूल्य; और

(ii) पैरा 8 के खंड (क) के संबंध में विहितगतिविधियों या लेनदेन का मूल्य।";

(ख) उप-धारा (5) में, खंड (च) के बाद, निम्नलिखित खंड बढ़ा दिया जाएगा, अर्थात्: -

"(चक) किसी कराधेय व्यक्ति द्वारा प्राप्त माल या सेवाएं या दोनों, जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 में निर्दिष्ट कारपोरेट सामाजिक दायित्व के अधीन अपने आक्षेपों से संबंधित गतिविधियों के लिए उपयोग या उपयोग किए जाने के लिए तात्पर्यित हैं;"।

धारा 23 का
संशोधन

5-मूल अधिनियम की धारा 23 में, उप-धारा (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-धारा रख दी जाएगी और तारीख 1 जुलाई, 2017 से रखी गयी समझी जाएगी, अर्थात्:-

"(2) धारा 22 की उप-धारा (1) या धारा 24 में अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, सरकार, परिषद की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा, ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अधीन, जो विहित की जाएं, उन व्यक्तियों का प्रवर्ग, जिन्हें इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्राप्त करने से छूट दी जा सकती है, विनिर्दिष्ट कर सकती है।"

धारा 30 का
संशोधन

6-मूल अधिनियम की धारा 30 में, उप-धारा (1) में, -

(क) शब्द "रद्दकरण आदेश की तामील की तारीख से तीस दिन के भीतर ऐसे अधिकारी को विहित रीति से :", के स्थान पर शब्द "ऐसी रीति से, ऐसे समय के भीतर और ऐसी शर्तों एवं निर्बंधनों के अधीन, जैसा कि विहित किया जाये, ऐसे अधिकारी को " रख दिये जायेंगे;

(ख) परंतुक को निकाल दिया जाएगा।

धारा 37 का
संशोधन

7-मूल अधिनियम की धारा 37 में, उप-धारा (4) के पश्चात् निम्नलिखित उप-धारा बढ़ा दी जाएगी, अर्थात्:-

"(5) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को उप-धारा (1) के अधीन किसी कर अवधि के लिये जावक पूर्तियों के ब्यौरे, उक्त ब्यौरा प्रस्तुत करने की नियत तारीख से तीन वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात्, प्रस्तुत करने के लिये अनुज्ञात नहीं किया जायेगा :

परंतु यह कि सरकार, परिषद की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा, ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अधीन, जो विहित की जाएं,

किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति या रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के एक वर्ग को उप-धारा (1) के अधीन उक्त ब्यौरे प्रस्तुत करने की नियत तारीख से तीन वर्ष की उक्त अवधि की समाप्ति के बाद भी एक कर अवधि हेतु जावक पूर्तियों के ब्यौरे प्रस्तुत करने के लिये अनुज्ञात कर सकती है।"

8-मूल अधिनियम की धारा 39 में, उप-धारा (10) के पश्चात् निम्नलिखित उप-धारा बढ़ा दी जाएगी, अर्थात्:-

धारा 39 का संशोधन

"(11) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को विवरणी प्रस्तुत करने की नियत तारीख से तीन वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् उक्त कर अवधि के लिए विवरणी प्रस्तुत करने के लिये अनुज्ञात नहीं किया जायेगा:

परंतु यह कि सरकार, परिषद की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा, ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अधीन, जो विहित की जाएं,

किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति या रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के एक वर्ग को विवरणी प्रस्तुत करने की उक्त नियत तारीख से तीन वर्ष की अवधि की समाप्ति के बाद भी उक्त विवरणी प्रस्तुत करने के लिये अनुज्ञात कर सकती है।"

9-मूल अधिनियम की धारा 44 को उसकी उप-धारा (1) के रूप में पुनर्संख्यांकित किया जाएगा, और इस प्रकार पुनर्संख्यांकित उप-धारा (1) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-धारा बढ़ा दी जाएगी, अर्थात्: -

धारा 44 का संशोधन

"(2) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करने की नियत तारीख से तीन वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् उक्त वित्तीय वर्ष के लिए उप-धारा (1) के अधीन वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करने लिये अनुज्ञात नहीं किया जायेगा:

परंतु यह कि सरकार, परिषद की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा, ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अधीन, जो विहित की जाएं,

किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति या रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के एक वर्ग को एक वित्तीय वर्ष के लिए उप-धारा (1) के अधीन वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करने के लिए, उक्त वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करने की नियत तारीख से तीन वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् भी उक्त वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करने के लिये अनुज्ञात कर सकती है।"

10-मूल अधिनियम की धारा 52 में, उप-धारा (14) के पश्चात् निम्नलिखित उप-धारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात्:-

धारा 52 का संशोधन

"(15) प्रचालक को उप-धारा (4) के अधीन एक विवरण प्रस्तुत करने की नियत तारीख से तीन वर्ष की अवधि समाप्त होने के पश्चात् उक्त विवरण प्रस्तुत करने के लिये अनुज्ञात नहीं किया जायेगा:

परंतु यह कि सरकार, परिषद की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा, ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अधीन, जो विहित की जाएं, एक प्रचालक या प्रचालकों के एक वर्ग को उक्त विवरण प्रस्तुत करने की नियत तारीख से तीन वर्ष की उक्त अवधि की समाप्ति पर भी उप-धारा (4) के अधीन एक विवरण प्रस्तुत करने के लिये अनुज्ञात कर सकती है।"

11-मूल अधिनियम की धारा 54 में, उप-धारा (6) में, शब्द "जिसके अंतर्गत अंतिमतः स्वीकृत इनपुट कर प्रत्यय की रकम नहीं है," निकाल दिये जायेंगे।

धारा 54 का संशोधन

12-मूल अधिनियम की धारा 56 में, शब्द "उक्तधारा के अधीन आवेदन प्राप्ति की तारीख से साठ दिन के अवसान के पश्चात् की तारीख से ऐसे कर का प्रतिदाय करने की तारीख तक", के स्थान पर शब्द "इस तरह के आवेदन की प्राप्ति की तारीख से, ऐसे कर का प्रतिदाय करने की तारीख तक साठ दिनों से अधिक विलंब की अवधि के लिये, ऐसी रीति से तथा ऐसी शर्तों एवं निर्बंधनों के अधीन जैसा विहित किया जाये, रख दिये जायेंगे।

धारा 56 का संशोधन

13-मूल अधिनियम की धारा 62 में, उप-धारा (2) में, -

धारा 62 का संशोधन

(क) शब्द "तीस दिन" के स्थान पर शब्द "साठ दिन" रख दिये जायेंगे;

(ख) निम्नलिखित परंतुक बढ़ा दिया जाएगा, अर्थात्:-

"परंतु यह कि जहां रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति उप-धारा (1) के अधीन निर्धारण आदेश की तामीलीकरण के साठ दिनों के भीतर एक विधिमान्य विवरणी प्रस्तुत करने में विफल रहता है वहाँ वह साठ दिनों से अधिक के विलंब के प्रत्येक दिन के लिए एक सौ रुपये अतिरिक्त विलंब शुल्क के भुगतान पर उक्त निर्धारण आदेश के तामीलीकरण के साठ दिनों की एक अग्रतर अवधि के भीतर इसे प्रस्तुत कर सकता है और यदि वह ऐसी विस्तारित अवधि के भीतर विधिमान्य विवरणी प्रस्तुत करता है, तो उक्त निर्धारण आदेश का प्रतिसंहरण किया गया समझा जाएगा, किंतु धारा 50 की उप-धारा (1) के अधीन ब्याज का भुगतान या धारा 47 के अधीन विलंब फीस का संदाय करने का दायित्व जारी रहेगा।"

धारा 109 का
प्रतिस्थापन

14—मूल अधिनियम की धारा 109 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जाएगी, अर्थात्:-

"109. इस अध्याय के उपबंधों के अध्याधीन केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 के अधीन गठित माल और सेवा कर अपीलीय अधिकरण इस अधिनियम के अधीन अपीलीय प्राधिकरण या पुनरीक्षण प्राधिकरण द्वारा पारित आदेशों के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई के लिए अपीलीय अधिकरण होगा।

धारा 110 तथा
114 का निकाला
जाना
धारा 117 का
संशोधन

15—मूल अधिनियम की धारा 110 तथा धारा 114 को निकाल दिया जायेगा।

16—मूल अधिनियम की धारा 117 में-

(क) उप-धारा (1) में, शब्द "राज्य पीठ या अपील अधिकरण की क्षेत्रीय पीठों" के स्थान पर, शब्द "राज्य पीठों" रख दिये जायेंगे ;

(ख) उप-धारा (5) में, खंड (क) और (ख) में, शब्द "राज्य पीठ या क्षेत्रीय पीठ" के स्थान पर, शब्द "राज्य पीठ" रख दिये जाएंगे।

धारा 118 का
संशोधन

17—मूल अधिनियम की धारा 118 में, उप-धारा (1) में, खंड (क) में, शब्द "राष्ट्रीय पीठ या अपील अधिकरण की प्रांतीय पीठों" के स्थान पर, शब्द "प्रमुख पीठ" रख दिये जायेंगे।

धारा 119 का
संशोधन

18—मूल अधिनियम की धारा 119 में,—

(क) शब्द "राष्ट्रीय या प्रांतीय पीठों" के स्थान पर शब्द "प्रमुख पीठ" रख दिये जाएंगे;

(ख) शब्द "राज्य पीठों या क्षेत्रीय पीठों" के स्थान पर शब्द "राज्य पीठ" रख दिये जाएंगे।

धारा 122 का
संशोधन

19—मूल अधिनियम की धारा 122 में, उप-धारा (1क) के पश्चात् निम्नलिखित उप-धारा बढ़ा दी जाएगी, अर्थात्:-

"(1ख) कोई भी इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य प्रचालक, जो-

(i) ऐसी पूर्ति करने के लिए इस अधिनियम के अधीन जारी अधिसूचना द्वारा रजिस्ट्रीकरण से छूट प्राप्त व्यक्ति के अलावा किसी गैर रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा इसके माध्यम से माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति की अनुमति देता है;

(ii) किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की अंतरराज्यिक पूर्ति की अनुमति देता है जो ऐसी अंतरराज्यिक पूर्ति करने के लिए पात्र नहीं है; या

(iii) इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्राप्त करने से छूट प्राप्त व्यक्ति द्वारा इसके माध्यम से प्रभावित माल की किसी जावकपूर्ति का, धारा 52 की उप-धारा (4) के अधीन प्रस्तुत किए जाने वाले विवरण में सही ब्यौरे प्रस्तुत करने में विफल रहता है, तो वह दस हजार रुपये का जुर्माना, या यदि ऐसी पूर्ति धारा 10 के अधीन कर का भुगतान करने वाले व्यक्ति से भिन्न किसी अन्य रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा की गई हो, में सम्मिलित कर की धनराशि के बराबर धनराशि, दोनों में जो भी अधिक हो, का भुगतान करने के लिए दायी होगा,।"

20-मूल अधिनियम की धारा 132 में, उप-धारा (1) में, -

धारा 132 का
संशोधन

(क) खंड (छ), (ज) और (ट) निकाल दिये जायेंगे;

(ख) खंड (ठ) में, शब्द, कोष्ठक और अक्षर "खंड (क) से (ट)", के स्थान पर शब्द, कोष्ठक और अक्षर "खंड (क) से (च) और खंड (ज) और (झ) " रख दिये जायेंगे;

(ग) खंड (iii) में, शब्द "जहां" के पश्चात्, शब्द, कोष्ठक और अक्षर "खंड (ख) में विनिर्दिष्ट अपराध में" रख दिये जायेंगे;

(घ) खंड (iv) में, शब्द, कोष्ठक और अक्षर "या खंड (छ) या खंड (ज)" निकाल दिये जायेंगे।

21-मूल अधिनियम की धारा 138 में,—

धारा 138 का
संशोधन

(क) उप-धारा (1) में, पहले परंतुक में, -

(i) खंड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रख दिया जाएगा, अर्थात्:-

"(क) कोई व्यक्ति, जो धारा 132 की उप-धारा (1) के खंड (क) से (च), (ज), (झ) और (ठ) में विनिर्दिष्ट किसी अपराध के संबंध में एक बार प्रशमित होने के लिये अनुज्ञात किया गया था ;"

(ii) खंड (ख) निकाल दिया जाएगा;

(iii) खंड (ग) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रख दिया जाएगा, अर्थात्:-

"(ग) कोई व्यक्ति, जो धारा 132 की उप-धारा (1) के खंड (ख) के अधीन किसी अपराध को करने का अभियुक्त है;

(iv) खंड (ङ) निकाल दिया जाएगा;

(ख) उप-धारा (2) में, शब्द "दस हजार रुपये या अंतर्वलित कर के पचास प्रतिशत, इनमें से जो भी अधिक हो, से कम नहीं होने और अधिकतम रकम तीस हजार रुपये या कर के एक सौ पचास प्रतिशत, इनमें से जो भी अधिक हो, से कम नहीं होने ", के स्थान पर शब्द "अंतर्वलित कर का पच्चीस प्रतिशत और अधिकतम राशि के अंतर्वलित कर के एक सौ प्रतिशत से अधिक नहीं होने" रख दिये जायेंगे।

22-मूल अधिनियम की धारा 158 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जाएगी, अर्थात्:-

नयी धारा 158क
का बढ़ाया जाना

"158क (1) धारा 133, 152 और 158 में उल्लिखित किसी बात के होते हुए भी, उप-धारा (2) के उपबंधों के अध्यक्षीन और परिषद की सिफारिशों के आधार पर किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत निम्नलिखित विवरण सामान्य पोर्टल द्वारा ऐसी अन्य प्रणालियों, जैसा कि सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाय, के साथ ऐसी रीति से और ऐसी शर्तों के अध्यक्षीन, जो विहित की जायं, साझा किया जा सकता है, अर्थात्: -

(क) धारा 25 के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन में या धारा 39 या धारा 44 के अधीन दाखिल कृत विवरणी में प्रस्तुत विशिष्टियां;

(ख) बीजक तैयार करने के लिए सामान्य पोर्टल पर अपलोड की गयी विशिष्टियां, धारा 37 के अधीन प्रस्तुत जावकपूर्ति का विवरण और धारा 68 के अधीन दस्तावेजों के निर्माण के लिए सामान्य पोर्टल पर अपलोड की गयी विशिष्टियां;

(ग) ऐसे अन्य विवरण जो विहित किये जाएं।

(2) उप-धारा (1) के अधीन विवरण साझा करने के प्रयोजनों के लिए, निम्नलिखित की सहमति प्राप्त की जाएगी, -

(क) उप-धारा (1) के खंड (क), (ख) और (ग) के अधीन प्रस्तुत विवरण के संबंध में पूर्तिकर्ता; और

(ख) उप-धारा (1) के खंड (ख) के अधीन और उप-धारा (1) के खंड (ग) के अधीन यथाविहित प्रपत्र में और रीति से प्रस्तुत विवरण, केवल जहाँ ऐसे विवरण में प्राप्तकर्ता की पहचान की सूचना सम्मिलित हो, के संबंध में प्राप्तकर्ता।

(3) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस धारा के अधीन साझा की गई जानकारी के परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाली किसी देयता के संबंध में सरकार या सामान्य पोर्टल के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की जायेगी और सुसंगत पूर्ति पर या सुसंगत विवरणी के अनुसार कर का भुगतान करने की देयता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।"

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम की अनुसूची III की कतिपय गतिविधियों और संबन्धों को भूतलक्षी प्रभाव से कर मुक्त करना

23-(1) मूल अधिनियम की अनुसूची III में, पैरा 7 और 8 और उसके स्पष्टीकरण 2 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 45 सन् 2018 की धारा 31 द्वारा बढ़ाया गया) पहली जुलाई 2017 से उसमें बढ़ाये गये समझे जायेंगे।

(2) एकत्र किये गये ऐसे सम्पूर्ण कर का प्रतिदाय नहीं किया जायेगा, जो इस तरह एकत्रित न किया गया होता, यदि उप-धारा (1) समस्त सारवान समयों पर प्रवृत्त होती।

आनंदीबेन पटेल
राज्यपाल,
उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,
अतुल श्रीवास्तव,
प्रमुख सचिव।

No. 257(2)/LXXIX-V-1-2023-2-Ka-16-2023

Dated Lucknow, July 24, 2023

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Maal Aur Sewa Kar (Sanshodhan) Adhyadesh, 2023 (Uttar Pradesh Adhyadesh Sankhya 14 of 2023) promulgated by the Governor. The Rajya Kar Anubhag-2 is administratively concerned with the said Ordinance.

THE UTTAR PRADESH GOODS AND SERVICES TAX
(AMENDMENT) ORDINANCE, 2023

(U.P. ORDINANCE NO. 14 of 2023)

[Promulgated by the Governor in the Seventy-fourth Year of the Republic of India]

AN

ORDINANCE

further to amend the Uttar Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017.

WHEREAS the State Legislature is not in session and the Governor is satisfied that circumstances exist which render it necessary for her to take immediate action;

NOW, THEREFORE, in exercise of powers conferred by clause (1) of Article 213 of the Constitution of India, the Governor is pleased to promulgate the following Ordinance :-

Short Title and Commencement

1. (a) This Ordinance may be called the Uttar Pradesh Goods and Services Tax Ordinance, 2023.

(b) The provisions of this Ordinance shall come into force on such date as the State Government may, by notification in the Official *Gazette*, appoint:

Provided that different dates may be appointed for different provisions of this Ordinance.

2. In the Uttar Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (hereinafter referred to as the "principal Act"), in section 10,—
- Amendment of section 10
- (a) in sub-section (2), in clause (d), the words "goods or" shall be *omitted*;
- (b) in sub-section (2A), in clause (c), the words "goods or" shall be *omitted*.
3. In section 16 of the principal Act, in sub-section (2),—
- Amendment of section 16
- (i) in the second proviso, for the words "added to his output tax liability, along with interest thereon", the words and figures "paid by him along with interest payable under section 50" shall be *substituted*;
- (ii) in the third proviso, after the words "made by him", the words "to the supplier" shall be *inserted*.
4. In section 17 of the principal Act,—
- Amendment of section 17
- (a) in sub-section (3), in the Explanation, for the words and figure "except those specified in paragraph 5 of the said Schedule", the following shall be *substituted*, namely:—
- "except,—
- (i) the value of activities or transactions specified in paragraph 5 of the said Schedule; and
- (ii) the value of such activities or transactions as may be prescribed in respect of clause (a) of paragraph 8 of the said Schedule.";
- (b) in sub-section (5), after clause (f), the following clause shall be *inserted*, namely:—
- "(fa) goods or services or both received by a taxable person, which are used or intended to be used for activities relating to his obligations under corporate social responsibility referred to in section 135 of the Companies Act, 2013;"
5. In section 23 of the principal Act, for sub-section (2), the following sub-section shall be substituted and shall be deemed to have been substituted with effect from the 1st day of July, 2017, namely:—
- Amendment of section 23
- "(2) Notwithstanding anything to the contrary contained in sub-section (1) of section 22 or section 24, the Government may, on the recommendations of the Council, by notification, subject to such conditions and restrictions as may be specified therein, specify the category of persons who may be exempted from obtaining registration under this Act."
6. In section 30 of the principal Act, in sub-section (1),—
- Amendment of section 30
- (a) for the words "the prescribed manner within thirty days from the date of service of the cancellation order:", the words "such manner, within such time and subject to such conditions and restrictions, as may be prescribed." shall be *substituted*;
- (b) the proviso shall be *omitted*.
7. In section 37 of the principal Act, after sub-section (4), the following sub-section shall be *inserted*, namely:—
- Amendment of section 37
- "(5) A registered person shall not be allowed to furnish the details of outward supplies under sub-section (1) for a tax period after the expiry of a period of three years from the due date of furnishing the said details :
- Provided that the Government may, on the recommendations of the Council, by notification, subject to such conditions and restrictions as may be specified therein, allow a registered person or a class of registered persons to furnish the details of outward supplies for a tax period under sub-section (1), even after the expiry of the said period of three years from the due date of furnishing the said details."
8. In section 39 of the principal Act, after sub-section (10), the following sub-section shall be *inserted*, namely:—
- Amendment of section 39
- "(11) A registered person shall not be allowed to furnish a return for a tax period after the expiry of a period of three years from the due date of furnishing the said return:

Provided that the Government may, on the recommendations of the Council, by notification, subject to such conditions and restrictions as may be specified therein, allow a registered person or a class of registered persons to furnish the return for a tax period, even after the expiry of the said period of three years from the due date of furnishing the said return."

Amendment of section 44

9. Section 44 of the principal Act shall be renumbered as sub-section (1) thereof, and after sub-section (1) as so renumbered, the following sub-section shall be *inserted*, namely:—

"(2) A registered person shall not be allowed to furnish an annual return under sub-section (1) for a financial year after the expiry of a period of three years from the due date of furnishing the said annual return:

Provided that the Government may, on the recommendations of the Council, by notification, and subject to such conditions and restrictions as may be specified therein, allow a registered person or a class of registered persons to furnish an annual return for a financial year under sub-section (1), even after the expiry of the said period of three years from the due date of furnishing the said annual return."

Amendment of section 52

10. In section 52 of the principal Act, after sub-section (14), the following sub-section shall be *inserted*, namely:—

"(15) The operator shall not be allowed to furnish a statement under sub-section (4) after the expiry of a period of three years from the due date of furnishing the said statement:

Provided that the Government may, on the recommendations of the Council, by notification, subject to such conditions and restrictions as may be specified therein, allow an operator or a class of operators to furnish a statement under sub-section (4), even after the expiry of the said period of three years from the due date of furnishing the said statement."

Amendment of section 54

11. In section 54 of the principal Act, in sub-section (6), the words "excluding the amount of input tax credit provisionally accepted," shall be *omitted*.

Amendment of section 56

12. In section 56 of the principal Act, for the words "from the date immediately after the expiry of sixty days from the date of receipt of application under the said sub-section till the date of refund of such tax", the words "for the period of delay beyond sixty days from the date of receipt of such application till the date of refund of such tax, to be computed in such manner and subject to such conditions and restrictions as may be prescribed" shall be *substituted*.

Amendment of section 62

13. In section 62 of the principal Act, in sub-section (2),—

(a) for the words "thirty days", the words "sixty days" shall be *substituted*;

(b) the following proviso shall be *inserted*, namely:—

"Provided that where the registered person fails to furnish a valid return within sixty days of the service of the assessment order under sub-section (1), he may furnish the same within a further period of sixty days on payment of an additional late fee of one hundred rupees for each day of delay beyond sixty days of the service of the said assessment order and in case he furnishes valid return within such extended period, the said assessment order shall be deemed to have been withdrawn, but the liability to pay interest under sub-section (1) of section 50 or to pay late fee under section 47 shall continue."

Substitution of section 109

14. For section 109 of the principal Act, the following section shall be *substituted*, namely:—

"109. Subject to the provisions of this Chapter, the Goods and Services Tax Appellate Tribunal constituted under Goods and Services Tax Act, 2017 shall be the Appellate Tribunal for hearing appeals against the orders passed by the Appellate Authority or the Revisional Authority under this Act.

15. Section 110 and 114 of the principal Act shall be *omitted*. Omission of sections 110 and 114
16. In section 117 of the principal Act,—
 (a) in sub-section (1), for the words “State Bench or Area Benches”, the words “State Benches” shall be *substituted*;
 (b) in sub-section (5), in clauses (a) and (b), for the words “State Bench or Area Benches”, the words “State Benches” shall be *substituted*. Amendment of section 117
17. In section 118 of the principal Act, in sub-section (1), in clause (a), for the words “National Bench or Regional Bench”, the words “Principal Bench” shall be *substituted*. Amendment of section 118
18. In section 119 of the principal Act,—
 (a) for the words “National or Regional Benches”, the words “Principal Bench” shall be *substituted*;
 (b) for the words “State Bench or Area Benches”, the words “State Benches” shall be *substituted*. Amendment of section 119
19. In section 122 of the principal Act, after sub-section (1A), the following sub-section shall be *inserted*, namely:—
 "(1B) Any electronic commerce operator who—
 (i) allows a supply of goods or services or both through it by an unregistered person other than a person exempted from registration by a notification issued under this Act to make such supply;
 (ii) allows an inter-State supply of goods or services or both through it by a person who is not eligible to make such inter-State supply; or
 (iii) fails to furnish the correct details in the statement to be furnished under sub-section (4) of section 52 of any outward supply of goods effected through it by a person exempted from obtaining registration under this Act, shall be liable to pay a penalty of ten thousand rupees, or an amount equivalent to the amount of tax involved had such supply been made by a registered person other than a person paying tax under section 10, whichever is higher." Amendment of section 122
20. In section 132 of the principal Act, in sub-section (1),—
 (a) clauses (g), (j) and (k) shall be *omitted*;
 (b) in clause (l), for the words, brackets and letters "clauses (a) to (k)", the words, brackets and letters "clauses (a) to (f) and clauses (h) and (i)" shall be *substituted*;
 (c) in clause (iii), for the words "any other offence", the words, "brackets and letter" an offence specified in clause (b)," shall be *substituted*;
 (d) in clause (iv), the words, brackets and letters "or clause (g) or clause (j)" shall be *omitted*. Amendment of section 132
21. In section 138 of the principal Act,—
 (a) in sub-section (1), in the first proviso,—
 (i) for clause (a), the following clause shall be *substituted*, namely:—
 " (a) a person who has been allowed to compound once in respect of any of the offences specified in clauses (a) to (f), (h), (i) and (l) of sub-section (1) of section 132;"
 (ii) clause (b) shall be *omitted*;
 (iii) for clause (c), the following clause shall be *substituted*, namely:—
 "(c) a person who has been accused of committing an offence under clause (b) of sub-section (1) of section 132;" Amendment of section 138

(iv) clause (e) shall be *omitted*;

(b) in sub-section (2), for the words "ten thousand rupees or fifty per cent of the tax involved, whichever is higher, and the maximum amount not being less than thirty thousand rupees or one hundred and fifty per cent of the tax, whichever is higher", the words "twenty-five per cent of the tax involved and the maximum amount not being more than one hundred per cent of the tax involved" shall be *substituted*.

Insertion of
new section
158A

22. After section 158 of the principal Act, the following section shall be *inserted*, namely:—

"158A. (1) Notwithstanding anything contained in sections 133, 152 and 158, the following details furnished by a registered person may, subject to the provisions of sub-section (2), and on the recommendations of the Council, be shared by the common portal with such other systems as may be notified by the Government, in such manner and subject to such conditions as may be prescribed, namely:—

(a) particulars furnished in the application for registration under section 25 or in the return filed under section 39 or under section 44;

(b) the particulars uploaded on the common portal for preparation of invoice, the details of outward supplies furnished under section 37 and the particulars uploaded on the common portal for generation of documents under section 68;

(c) such other details as may be prescribed.

(2) For the purposes of sharing details under sub-section (1), the consent shall be obtained, of—

(a) the supplier, in respect of details furnished under clauses (a), (b) and (c) of sub-section (1); and

(b) the recipient, in respect of details furnished under clause (b) of sub-section (1), and under clause (c) of sub-section (1) only where such details include identity information of the recipient, in such form and manner as may be prescribed.

(3) Notwithstanding anything contained in any law for the time being in force, no action shall lie against the Government or the common portal with respect to any liability arising consequent to information shared under this section and there shall be no impact on the liability to pay tax on the relevant supply or as per the relevant return."

Retrospective
exemption to
certain activities
and transactions
in Schedule III to
the Uttar Pradesh
Goods and
Services Tax Act

23. (1) In Schedule III to the principal Act, paragraphs 7 and 8 and the Explanation 2 thereof (as inserted vide section 31 of U.P.Act 45 of 2018) shall be deemed to have been inserted therein with effect from the 1st day of July, 2017.

(2) No refund shall be made of all the tax which has been collected, but which would not have been so collected, had sub-section (1) been in force at all material times.

ANANDIBEN PATEL
Governor,
Uttar Pradesh.

By order,
ATUL SRIVASTAVA,
Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 455 राजपत्र-2023-(1475)-599 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी०/ऑफसेट)।
पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 12 सा० विधायी-2023-(1476)-300 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी०/ऑफसेट)।